

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास भागीस्थ राम R.A.S

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
शंकरलाल पुत्र जेठाराम माली निवासी शिवगंज तह0 शिवगंज।		1.भरतकुमार पुत्र जेठाराम जाति माली निवासी शनिचर मंदिर के पीछे बडगांव रोड शिवगंज 2.राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश प्रजापत		विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार चित्तारा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 24/2020

निर्णय:-

दिनांक 15.06.2022

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री क्रमांक 209 दिनांक 31.03.2022 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पत्राक/राजस्व/पीडी/2022/1531 दिनांक 25.05.2022 से वादग्रस्त भूमि मौजा बडगांव के खसरा नम्बर 767/1 रकबा 09-10 बीघा, खसरा नं0 767/2 रकबा 06-12 बीघा, खसरा नं0 763/3 रकबा 25-03 बीघा भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी व उनके अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया जिसमे कोई आपत्ति नहीं की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यो के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

आज दिनांक 15.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



प्रतिलिपि पालनार्थ:- तहसीलदार शिवगंज।

507
15/6/22

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)



फाईनल डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)
बईजलास भागीरथ राम R.A.S

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
शंकरलाल पुत्र जेठाराम माली निवासी शिवगंज तह0 शिवगंज।		1.भरतकुमार पुत्र जेठाराम जाति माली निवासी शनिचर मंदिर के पीछे बडगांव रोड शिवगंज 2.राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश प्रजापत		विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार चित्तारा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 24/2020

दिनांक 15.06.2022

वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज द्वारा जरिये पत्राक/राजस्व/पीडी/2022/1531 दिनांक 25.05.2022 से वादग्रस्त भूमि मौजा बडगांव के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 767/1 रकबा 09-10 बीघा, खसरा नं0 767/2 रकबा 06-12 बीघा, 763/3 रकबा 25-03 बीघा भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाने पर सहमत होने से वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को सरहद मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील शिवगंज खसरा नम्बर 767/1, 767/2, 767/3 रकबा क्रमशः 09-10, 06-12, 25-03 बीघा भूमि का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद व राजस्व नक्शे मे तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 15.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया



(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

मुद्दा	रूपया/पै.	मुद्दायलाह	रूपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबत इजराय हुक्मनामा मीजान	-शून्य-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक मीजान	-:शून्य:-

प्रतिलिपि फलनार्थ:- तहसीलदार शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर
शिवगंज
शिवगंज (सिरोही)

पत्राक
506
15/6/22